

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 131/2020

नन्द लाल पुत्र सोहनलाल उम्र 62 वर्ष जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 6, डाडा फतेहपुरा  
तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

..... प्रार्थी

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 22-02-2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा पटवार हल्का डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 56 के ख.नं. 1109 रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.76 हैक्टर में प्रार्थी का नाम नन्दूराम पुत्र सोहन के स्थान पर नन्द लाल पुत्र सोहनलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073-76 खाता सं. 56 ग्राम डाडा फतेहपुरा पेश की गई तथा गवाह रमेश स्वामी पुत्र मोहन लाल जाति स्वामी उम्र 58 वर्ष निवासी डाडा फतेहपुरा व विक्रम सिंह पुत्र बगड़ावत सिंह जाति राजपूत उम्र .. वर्ष निवासी डाडा फतेहपुरा के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 56 में प्रार्थी का नाम नन्दूराम पुत्र सोहन के स्थान पर नन्द लाल पुत्र सोहनलाल दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 56 में प्रार्थी का नाम नन्दूराम पुत्र सोहन के स्थान पर नन्द लाल पुत्र सोहनलाल दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-02-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
( राजपाल यादव )  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी